

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

.....
.....
किस्म मुकदमा 220210 मु. नं० 51 वर्ष 2021

दिनांक	आज्ञा पत्र
16-8-21	<p>अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील अपीलांत को सुना गया। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 57/2021 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत अपील जिस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उस आदेश में विचारण न्यायालय में केवल मात्र अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के आदेश दिये हैं। किसी प्रकार का प्रभावी आदेश पारित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रभावी आदेश के अभाव में अपील पोषणीय नहीं है। इस आदेश के विरुद्ध इस स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>(राजवीर सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर</p>

